

प्रेस नोट संख्या 24

दिनांक 11.04.2025

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी

थाना मोहनगंज पुलिस द्वारा गोकशी करने के उपकरणों के साथ 04 नफर
अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार, 01 अदद गोवंश बरामद ।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री हरेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी तिलोई श्री अजय कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 10.04.2025 को थाना मोहनगंज पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बहुआ के नैय्या नामक स्थान के पास झाड़ियों के पीछे कुछ लोग प्रतिबंधित गोवंश के पैर व मुंह को बांधे हुए हैं। उक्त सूचना पर थाना मोहनगंज पुलिस द्वारा मुखबिर के बताये हुए स्थान पर पहुंचकर देखा गया कि 04 लोग गोवंश को क्रूरतापूर्वक बांधे हुए हैं। पुलिस टीम द्वारा एक बारगी दबिश देकर मौके पर मौजूद चारों व्यक्तियों को पकड़कर नाम पता पूछने पर व्यक्तियों ने अपना-अपना नाम 1.फुरकान पुत्र मुन्तजीर निवासी ग्राम बहुआ थाना मोहनगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 26 वर्ष, 2.ममदूह जैदी पुत्र मुस्ताक जैदी निवासी बहुआ थाना मोहनगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 42 वर्ष, 3.गुरुशरन पुत्र बुद्धीराम रैदास निवासी पूरे साधूराम पण्डित मजरे बहुआ थाना मोहनगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 40 वर्ष, 4.बिलकिश बानो पत्नी मो0 शोयब निवासी ग्राम बहुआ थाना मोहनगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 35 वर्ष बताया। मौके से अभियुक्तों के पास से 01 अदद लकड़ी का ठीहा, 03 अदद चापड़, 04 अदद चाकू, 04 झोला सफेद बोरी वाले, 50 अदद काली पन्नी आदि गोवध करने के विभिन्न उपकरण बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर उक्त चारों अभियुक्तों को समय करीब 06.05 बजे शाम में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबन्ध में थाना मोहनगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का नाम व पता—

1. फुरकान पुत्र मुन्तजीर निवासी ग्राम बहुआ थाना मोहनगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 26 वर्ष।
2. ममदूह जैदी पुत्र मुस्ताक जैदी निवासी बहुआ थाना मोहनगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 42 वर्ष।
3. गुरुशरन पुत्र बुद्धीराम रैदास निवासी पूरे साधूराम पण्डित मजरे बहुआ थाना मोहनगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 40 वर्ष।
4. बिलकिश बानो पत्नी मो0 शोयब निवासी ग्राम बहुआ थाना मोहनगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी-

- 01 अदद गोवंश ।
- 01 अदद लकड़ी का ठीहा, 03 अदद चापड़, 04 अदद चाकू, 04 झोला सफेद बोरी वाले, 50 अदद काली पन्नी आदि गोवध करने के विभिन्न उपकरण ।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 94/25 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवा0 अधि0, 11 पशुकूरता निवा0 अधि0 थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री राकेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
2. उ0नि0 विजय नारायण पाण्डेय थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
3. म0उ0नि0 प्रेमशिला थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
4. हे0का0 अनिल सिंह थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
5. का0 सुरेन्द्र पाल थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
6. का0 रिनित कुमार थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
7. म0का0 सीमा भदौरिया थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
8. म0क0 कविता थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।

अभियुक्त फुरकान का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 263/15 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
2. मु0अ0सं0 291/15 धारा 2/3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
3. मु0अ0सं0 45/17 धारा 3/4 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
4. मु0अ0सं0 205/19 धारा 8/18/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
5. मु0अ0सं0 243/24 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।